संख्याः 740 /VII-A-1/2020/22ख/13

प्रेषक,

ओम प्रकाश,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

महत्वपूर्ण

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
उत्तराखण्ड वन विकास निगम,
उत्तराखण्ड देहरादून

अधि.	शिवि		नियोजन
लेखा	शिविर		
ऑडिट	भण्डार	भवन प्रभारी	
पी.एस.			

30.06.2020

औद्योगिक विकास (खनन) अनुभाग–1

देहरादून, दिनांकः 26 जून, 2020

विषयः आरक्षित वन क्षेत्र की गौला, कोसी, दाबका एवं शारदा नदी से उपखनिज चुगान हेतु स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–उ–7189/उपखनिज चुगान/आशय पत्र–05(506), दिनांक 12 मार्च, 2020 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वन विभाग, उत्तराखण्ड के आरक्षित वन क्षेत्रों के अन्तर्गत जनपद नैनीताल स्थित गौला, कोसी, दाबका नदी तथा जनपद चम्पावत स्थित शारदा नदी से उपखनिज चुगान एवं निकासी का कार्य उत्तराखण्ड वन विकास निगम के द्वारा आगामी 10 वर्ष की अवधि हेतु किये जाने बावत् वन विभाग, उत्तराखण्ड शासन एवं औद्योगिक विकास (खनन) विभाग, उत्तराखण्ड शासन की अनापत्ति है।

कृपया तदनुसार अवगत होने का कष्ट करें।

भवदीय,

(ओम प्रकाश)
अपर मुख्य सचिव

संख्याः 740 (1)/VII-A-1/2020 तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. प्रमुख सचिव, वन एवं पर्यावरण विभाग, उत्तराखण्ड शासन को वन विभाग, उत्तराखण्ड शासन द्वारा प्रदत्त अनापत्ति के सन्दर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उत्तराखण्ड देहरादून।

आज्ञा से,

(एन०एस० डुंगरियाल)
संयुक्त सचिव

BHUWAN JOSHI
खO/RQP/DDN/01

Scanned with CamScanner

प्रेषक,

निदेशक,
भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई,
उद्योग निदेशालय उत्तराखण्ड देहरादून।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
वन विकास निगम उत्तराखण्ड,
देहरादून।

संख्याः 1133 /उ0ख0/मा0प्लान/नैनी0/2015–16

दिनांक 12 मार्च 2016

विषय पट्टाधारक उत्तराखण्ड वन विकास निगम के पक्ष में जनपद नैनीताल की तहसील हल्द्वानी एवं लाल कुंआ के क्षेत्रान्तर्गत प्रवाहित होनी वाली गौला नदी के क्षेत्रान्तर्गत कुल 1,497 है0 वन भूमि में उपखनिज बालू, बजरी, बोल्डर के खनन हेतु 10 वर्ष की अवधि हेतु खनन पट्टे पर स्वीकृत क्षेत्र की खनन योजना के अनुमोदन के सम्बन्ध में।

महोदय,

आपके द्वारा जनपद नैनीताल की तहसील हल्द्वानी एवं लाल कुंआ के क्षेत्रान्तर्गत प्रवाहित होनी वाली गौला नदी के क्षेत्रान्तर्गत कुल 1,497 है0 वन भूमि जिसमें शासनादेश संख्या 179/VII-2/11–ख/2010 दिनांक 24 जनवरी 2013 के द्वारा आपके पक्ष में उपखनिज बालू/बजरी/बोल्डर का 10वर्ष की अवधि हेतु खनन पट्टा स्वीकृत किया गया है, से सम्बन्धित प्रस्तुत खनन योजना श्री हरीश कैन्थोला आर0क्यू0पी0/DDN/141/2002–A के द्वारा तैयार की गयी है को वैज्ञानिक, तकनीकी एवं पर्यावरण सुरक्षा के दृष्टिकोण से खनन संक्रियाओं के सुनियोजित संचालन हेतु उपयुक्त पाये जाने के दृष्टिगत उत्तराखण्ड उपखनिज परिहार नियमावली–2001 के नियम–34 एवं उत्तराखण्ड उपखनिज नीति–2015 के विन्दु सं0–6 (2) अन्तर्गत प्रदत्त अधिकार का प्रयोग करते हुए, प्रस्तुत खनन योजना का अनुमोदन निम्नलिखित शर्तों के अधीन किया जाता है:–

<u>शर्तें</u>

1. ख्खनन योजना का अनुमोदन खनन अनुमोदित खनन योजना की तिथि से आगामी पांच वर्षों की अवधि के लिए किया जा रहा है।
2. पट्टाधारक द्वारा प्रश्नगत क्षेत्र के सम्बन्ध में पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार से पर्यावरणीय अनुमति प्राप्त की जायेगी तथा पर्यावरणीय अनुमति की समस्त शर्तो का अनुपालन किया जायेगा।
3. स्वीकृत क्षेत्र का सीमाबन्धन/पिलरबन्दी उपखनिज परिहार नियामवली–2001 के नियम–17 के अनुसार भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग के द्वारा राजस्व विभाग के साथ सयुक्त रूप से किया जायेगा तथा नियम–14 के अनुसार पट्टाधारक द्वारा पट्टा विलेख के निष्पादन एवं पट्टा विलेख का पंजीकरण कराने के उपरान्त खनन क्षेत्र से उपखनिज का खनन/चुगान प्रारम्भ किया जायेगा।
4. प्रस्तावित खनन योजना के अनुसार, मैनुवल माइनिंग से, विना ब्लास्टिंग के प्रथम वर्ष आर0एल0 219.5 मी0 से 500 मी0 तक 13970000.00 टन, द्वितीय वर्ष में आर0एल0 219.5 मी0 से 500 मी0 तक 13970000.00 टन, तृतीय वर्ष में आर0एल0 219.5 मी0 से 500 मी0 तक 13970000.00 टन, चतुर्थ वर्ष में आर0एल0 219.5 मी0 से 500 मी0 तक 13970000.00 टन, एवं पंचम वर्ष में आर0एल0 219.5 मी0 से 500 मी0 तक 13970000.00 टन, उपखनिज का खनन किया जायेगा।

BHUWAN JOSHI
मु0 ख0/RQP/DDN/01...

Scanned with CamScanner

5. यह खनन योजना अन्य किसी अधिनियन जो कि इस खान या क्षेत्र पर लागू होते है या समय–समय पर राज्य सरकार या केन्द्र सरकार या अन्य किसी सक्षम द्वारा प्रख्यापित किये जाते है, को छोड़ कर अनुमोदित की जाती है।
6. यह खनन योजना वन (संरक्षण) अधिनियम–1980, वन संरक्षण नियमावली 1981 और अन्य सम्बन्धित अधिनियम और नियमावली, आदेश और दिशा निर्देश जो कि इस खनन पट्टे पर समय–समय पर दिये जाये लागू होंगे।
7. अनुमोदित खनन योजना किसी भी प्रभावी क्षेत्रान्तर्गत माननीय न्यायालय के आदेश एवं दिशा निर्देश के लागू होने को बाधित नहीं करती है।
8. अनुमोदित अवधि में किये गये खनन कार्य के निरीक्षण के उपरान्त यदि खनन योजना में संशोधन हेतु आदेश दिये जाते हैं तब संशोधित खनन योजना प्रस्तुत करने का पूर्ण उत्तरदायित्व पट्टाधारक का होगा।
9. आबद्ध/नियोजित श्रमिकों को सुरक्षात्मक उपकरण प्रदान करने तथा सुरक्षित खनन कार्य करने हेतु सभी आवश्यक सावधानियाँ बरतने का दायित्व पट्टाधारक का होगा।
10. अनुमोदित खनन योजना की एक–एक प्रमाणित प्रति सम्बन्धित जिलाधिकारी कार्यालय एवं निदेशालय के क्षेत्रीय कार्यालय में अभिलेखार्थ यथाशीघ्र प्रस्तुत करने का दायित्व भी पट्टाधारक का होगा।
11. अनुमोदित खनन योजना के अनुसार, पट्टाधारक द्वारा खनन कार्य न किये जाने पर, पट्टाधारक के विरूद्ध पट्टे की शर्त का उल्लंघन माना जायेगा और तद्नुसार कार्यवाही की जायेगी।
12. खनन योजना इस शर्त के साथ अनुमोदित की जा रही है कि पट्टाधारक द्वारा श्रमिकों की सुरक्षा एवं स्वास्थ्य की उचित व्यवस्था की जायेगी।

संलग्नकः– खन्न योजना की अनुमोदित प्रति।

भवदीय

(श्रीधर बाबू अद्दांकी)
निदेशक

संख्याः 1133 /मा0प्लान/उ0खनि0/उ0ध0/2015–16 तद्‌दिनांकित।
प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
1. जिलाधिकारी नैनीताल।
2. उपनिदेशक खनन भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई नैनीताल।

(श्रीधर बाबू अद्दांकी)
निदेशक

BHUWAN JOSHI
मु0 ख0/RQP/DDN/01

Scanned with CamScanner

उत्तराखण्ड वन विकास निगम

प्रधान कार्यालय – अरण्य विकास भवन, 73 नेहरु रोड, देहरादून

दूरभाष :-0135-2657610, फैक्स :-0135-2655488, ई-मेल: vanvikas12@gmail.com

पत्रांक -3 - 1531 /LO1 (05/506) दिनांक : 07, जुलाई, 2020

सेवा में,

1- महाप्रबन्धक (कु0म0),
2- क्षेत्रीय प्रबन्धक (कु0क्षे0)
उत्तराखण्ड वन विकास निगम,
हल्द्वानी।

विषय :- आरक्षित वन क्षेत्र की गौला, कोसी, दाबका एवं शारदा नदियों से उपखनिज चुगान हेतु स्वीकृतियों के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ :- अपर मुख्य सचिव, औद्योगिक विकास (खनन) अनुभाग-1 की पत्र संख्या-740/VII-A-1/2020/22 ख /13 दिनांक 26.06.2020 (संलग्न)

महोदय,

शासन के सन्दर्भित पत्र के क्रम में आरक्षित वन क्षेत्र की जनपद नैनीताल की गौला, कोसी, दाबका एवं जनपद चम्पावत शारदा नदी से आगामी 10 वर्षो की अवधि के लिये उपखनिज चुगान एवं निकासी हेतु वन विभाग व उत्तराखण्ड शासन, औद्योगिक विकास (खनन) विभाग की अनापत्ति है।

"वन विभाग, उत्तराखण्ड के आरक्षित वन क्षेत्रों के अन्तर्गत जनपद नैनीताल स्थित गौला, कोसी, दाबका नदी तथा जनपद चम्पावत स्थित शारदा नदी से उपखनिज चुगान एवं निकासी का कार्य उत्तराखण्ड वन विकास निगम के द्वारा आगामी 10 वर्ष की अवधि हेतु किये जाने बावत्, वन विभाग, उत्तराखण्ड शासन एवं औद्योगिक विकास (खनन) विभाग, उत्तराखण्ड शासन की अनापत्ति है।"

अतः आप उपरोक्त शासन के आदेश के क्रम में आरक्षित वन क्षेत्र की जनपद नैनीताल की गौला, कोसी, दाबका एवं जनपद चम्पावत शारदा नदी से आगामी 10 वर्षो की अवधि के लिये उपखनिज चुगान एवं निकासी हेतु यथा वांछित वन / पर्यावरणीय अनापत्ति आदि प्राप्त करने हेतु कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्नक :- उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(मोनिष मल्लिक)
प्रबन्ध निदेशक

खनन एवं व्यापार निदेशालय ... 2020 ... देहरादून

पत्रांक- 1531 /तददिनांकित।

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. समस्त प्रभागीय प्रबन्धक, खनन, उत्तराखण्ड वन विकास निगम, कुमाऊँ मण्डल।
2. वरिष्ठ लेखाप्रबन्धक (मु0) उत्तराखण्ड वन विकास निगम, देहरादून।

o/c

07.07.2020

(मोनिष मल्लिक)
प्रबन्ध निदेशक

BHUWAN JOSHI
मु० ख0/RQP/DDN/01/...

Scanned with CamScanner